न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 141/2019

GCMS NO. : 2019/00212

–:: प्रार्थी ::–

1. गोमा उर्फ गोविन्द पुत्र लादू जाति– गुर्जर, निवासी– ढाणी जगतिया, रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. राजू पुत्र हरजी
2. मांगी बेवा रामलाल
3. नारायण पुत्र लादू ?
   जातियान– गुर्जर, निवासी– निवासीगण– ढाणी जगतिया, रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
4. तहसीलदार जैतारण, एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 30/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री पूनमचंद सोलंकी, श्री रमेश कुमावत, श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 25/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा में सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती कब्जे काश्त की कृ षि भूमि खसरा नम्बर 1561 रकबा 15–12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1696/1 रकबा 7–13 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 23–05 बीघा आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2073 से 2076 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान् व रकवा की कृषि भूमि सायल व गैरसायलान् की संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की है, पक्षकारान् के मध्य वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंट्वाड़ा नही हो रखा है, पक्षकारान अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर उक्त कृषि भमि में काबिज होकर काश्त करते है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि होने से गैरसायलान् आये दिन सायल के हक हिस्से व बंट की भूमि में दखलन्दाजी करते रहते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते है [illegible] भूमि को बिना कानूनी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाये [illegible] बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने की भी धमकियां देते है। गैरसायलान् का यह [illegible] सायल के हक–अधिकार व कब्जे–काश्त की कृषि भूमि मे कानून की निगाह मे [illegible]यज दखल है, इसलिये सायल की और से सायल के कब्जे काश्त की सुरक्षार्थ गैरसायलान् के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतु वाद व यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् की सेवा मे सादर पेश है। गैरसायलान् शक्ति व बल के आधार से सायल के जायज खातेदारी हक–हकुको कब्जे–काश्त की कृषि भूमि मे नाजायज तौर से दखल करते है, अगर गैरसायलान् ने सायल की कब्जे–काश्त की कृषि भूमि मे उपरोक्त अनुसार दखलजारी रखा जाता है तो सायल को असीम हानि होगी तथा खातेदारी अधिकार हमेशा के लिये प्रभावित होग, सायल खातेदार होने से व मौके पर कब्जा काश्त होने से सायल का बखूबी प्रथम दृष्टया केस साबित है, सायल खातेदार है व मौके पर काबिज है, गैरसायलान नाजायज तौर से दखल कर रहे है इसलिय गैरसायलान के ऐसे कृत्य से सायल को असीम हानि होना निश्चित है और सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है। इसलिये सायल की और से गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिये वाद व यह प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि सायल व गैरसायलान की संयुक्त खातेदार एवं कब्जे काश्त की है, जिसका बाई मिंट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, परन्तु पक्षकारान मौके पर अपने–अपने हिस्सेनुसार सहुलियत से काबिज है व काश्त करते है। गैरसायलान उक्त संयुक्त कब्जे काश्त व बिना बंटवाड़ा की कृषि भूमि का बैचान किसी अन्य अजनबी को करने पर अमादा है। इस प्रकार के बंटवाड़े के बगैर यदि गैरसायलान उक्त कृषि भूमि का बैचान या हस्तान्तरण कर दिया तो अजनबी व्यक्ति नाजायज तरीके से सायल के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा, गैरसायलान आये दिन ऐलानिया धमकियां देते है कि हक उक्त कृषि भूमि को भू–माफियों को हस्तान्तरण कर देंगे जो तुम्हे तंग परेशान करेंगे, एवं तुम्हारे हक–अधिकारों की कृषि भूमि में दखलअंदाजी करेगें, इसलिये प्रतिवादीगण के ऐसे कृत्य के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सादर पेश है। गैरसायलान उक्त कृषि भूमि को अजनबी व्यक्ति को बैचान करनें पर आमदा है, यदि गैरसायलान अपने ऐसे नाजायज कृत्य में सफल हो जाते है तो स्पष्ट नहीं होगा की गैरसायलान ने कौनसा हिस्सा बैचान किया है तथा अजनबी क्रेता भी ऐसे बेचान के आधार पर वैध तरीकों से उक्त कृषि भूमि के अच्छे से अच्छे हिस्से पर काबिज हो जायेगा और सायलगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करनें का प्रयास करेगा, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिग्डिस बढ़ेगी इसलिये ऐसे बैचान हस्तान्तरण के खिलाफ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। सायल द्वारा गैरसायलान् को उनके कृ त्यो बाबत बहुत समझाया परन्तु गैरसायलान् अपनी जिद पर अड़े हुए है और उक्त कृषि भूमि को जबरन भू माफियो अजनबी व्यक्तियों को बैचान हस्तातंरण करने पर आमादा है, ऐसे संयुक्त भूमि का कयकर्ता बंटवाडे कराये बिना आराजी में प्रवेश नही कर सकता और यदि प्रवेश कर भी लियां हो तो उसका स्वतत्व व अधिकार नहीं होता है एवं न्यायालय उसके विरूद्ध डिक्री पारित कर सकती है, जब–तक बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा भू–भाग बैचा है और क्रेता अच्छी से अच्छी भूमि पर काबिज हो का प्रयास करेगा। इसलिये इन सभी परिस्थितियो में गैरसायलान् उक्त कृषि भूमि मे अपना हक व हिस्सा अलग कराकर ही बैचान हस्तान्तरण का अधिकार रखता है, इसलिये यह प्रार्थनापत्र अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:24 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निषेधाज्ञा का गैरसायलान् के विरूद्ध सादर पेश है। उक्त कषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे-काश्त की कृषि भूमि है, गैरसायलान् को यह कतई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है कि ऐसी संयुक्त खातेदारी व कब्जे-काश्त की कृषि भूमि के किसी निश्चित भू भाग को बेचान हस्तान्तरण करे, गैरसायलान् इन सभी तथ्यो का जानते हुए भी उक्त भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है, इसलिय गैरसायलान् के उक्त अवैध कृत्यो के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर सायल का उसके हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे प्रमाणित है यदि गैरसायलान् बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बादत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित संयुक्त सामलाती अविभाजित खसरा नम्बरान् एवं रकबा की कृषि भूमि में से सायल के हक-हिस्से एवं बंट की भूमि मे सायल काश्त व काश्त से सम्बन्धित तमाम कार्य खडाई, बुवाई, कटाई, निराई, गुडाई, सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमें गैरसायलान् उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार नौकर चाकर हाली एजेन्ट वारिसान आदि किसी प्रकार से दखल-अन्दाजी, रोक-टोक, बाधा, अडचन, रुकावट, व्यवधान पैदा नही करे, एवं उपरोक्त कृषि भूमि का जब तक कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् को उक्त कृषि भूमि के किसी भी भू भाग का बैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने से भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावें। प्रार्थनापत्र की रुह से अन्य कोई आदेश सायल के पक्ष मे हो अतः फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है तथा अप्रार्थीगण संख्या 03 को बार बार आवाजें दिलाई गई। बावजूद नोटिस सम्मन/सूचना तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यावाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 02 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीक[illegible] की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, [illegible] हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम-दृष्ट्यां मामला :- वादग्रस्त आराजी के अविभाजित संयुक्त सहखातेदारी की है, जिसमें एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदारों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बाबत् वाद एवं ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें की प्रार्थना की है। चुंकि सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में सहखातेदारों के मध्य विवाद के समाधान के लिये कानूनन हिस्सेनुसार बंटवाड़ा ही समाधान है। परन्तु वादी द्वारा बंटवाड़ा बाबत् वाद प्रस्तुत ही नहीं किया। अतः ऐसी दशा में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :– चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित माना जाता है, केवल एक सहखातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता है। अतः यह बिंदू भी वादी/प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :– वादी/प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास करनें का पर्याप्त आधार हो कि अगर प्रार्थी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करनें पर उसे किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होगी। वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अतः केवल वादी/प्रार्थी को ही अपूर्णनीय क्षति होनें के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए हैं, अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्ट्यां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा–212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested